प्रेस नोट

साइबर सेल/थाना कड़ाधाम जनपद-कौशाम्बी, दिनांकः २१.०६.२०२०

थाना कड़ाधाम, जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत मु०अ०सं० 226/२० धारा 419,४२०,४६७,४६८,४०६ व 34 आईपीसी बनाम अज्ञात, जिसके द्वारा वादी मुकदमा वर्षा साहू पुत्री श्री धीरज लाल निवासी दारानगर थाना कड़ाधाम जनपद कौशाम्बी के खाते से धोखाधड़ी कर नौकरी दिलाने के नाम पर कुल लगभग ९,५५०००/- रू० (नौ लाख पचपन हजार रू०) फ्रॉड कर लिया गया था, के सफल अनावरण हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी महोदय द्वारा साइबर सेल को निर्देशित किया गया था। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी महोदय के कुशल निर्देशन व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय कौशाम्बी के कुशल मार्गदर्शन में एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के कुशल पर्वेक्षण में टीम गठित की गयी थी, जिसमें उ०नि० श्री विजेन्द्र सिंह, उ०नि०प्र० श्री सिद्धार्थ सिंह, सीसीओ अखिलेश उपाध्याय व संदीप कुमार शामिल थे, के कुशलता व सक्रियता से कार्य करते हुये उक्त मुकदमे का सफल अनावरण किया गया, जिसमें १.विशेष गुप्ता पुत्र बसन्तलाल गुप्ता नि० बीडीए कालोनी, बडी बिहार थाना इज्जत नगर, बरेली २.रासिद अली पुत्र सराफत अली निवासी बीडीए कालोनी बडी बिहार, थाना इज्जतनगर, जनपद बरेली ३. सुरजीत यादव पुत्र रामसेवक यादव नि० फरीदपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली के रूप में प्रकाश में आये, जिनके द्वारा गरीब, लाचार व बेबस लोगों को चन्द पैसों का लालच देकर उनके खाते खुलवाते है तथा उनके खाते में लिंक मोबाइल सिम, खाते मे जारी एटीएम, पासबुक, चेकबुक जिसपर पहले से साइन करा लेते थे, सम्पूर्ण दस्तावेज ये ले लेते थे तथा आम जनमानस को कॉल कर नौकरी, लकी ड्रा का झासा देकर उक्त गरीब, लाचार व बेबस लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर कर निकाल लेते है। इसके अलावा भी वे लोग यूपीआई फ्रॉड, ओएलएक्स फ्रॉड तथा लोगों के मोबाइल पर लिंक भेजकर उनके मोबाइल पर अनचाहे एप डाउनलोड कराकर उनके मोबाइल बैंकिंग सेवा को खुद उपयोग करके उनके खाते से धनराशि स्थानांतरित कर लेते थे। इस प्रकार की घटना का अन्जाम देते थे, बिल्कुल इसी प्रकार मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वादिनी से भी ९,५५०००/-रू० नौकरी के नाम पर ठगी किया गया था। उक्त अभियुक्तों की सूचना उक्त मुकदमें के विवेचक उ०नि० श्री कृष्णराज सिंह थाना कड़ाधाम को दी गयी जिसमें मुखबीर की सूचना पर उक्त विवेचक मय हमराह व मुकदमें के अनावरण हेतु गठित उपरोक्त टीम द्वारा आज दिनांक २०.०६.२०२० समय करीब ०७:०० बजे सैनी बस स्टैंड के पास से उक्त अभियुक्तगण को मय ०३ अदद मोटर साइकिल व एक काले रंग का बैग जिसमें से ३४ अदद बैंक पासबुक, २५ अदद एटीएम कार्ड १६ अदद आधार कार्ड, १६ अदद चेकबुक, ११ अदद पेनकार्ड व घटना में प्रयुक्त ०३ अदद मोबाइल व जामातलासी से कुल १५०००/-रू० के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो सभी एक स्वर में बोले कि साहब हमलोग भोलेभाले लोगों को फोन कर लकी ड्रा का झासा देकर अन्य लोगों के खाते में पैसे मंगा कर ठगी करते है। हमलोगों के अलावा दो हमारे साथी हसन सानू जो बदायूं का है तथा जुबैर कुरैसी जो बरेली का है, ये हमारे गिरोह के मुख्य सरगना है तथा हसन सानू का एक और साथी जो जलगांव महाराष्ट्र का है, वो लड़कियों से पहले दोस्ती करता है, फिर उनको नौकरी का झांसा देकर ठगी करता है। उपरोक्त अभियुक्तों का एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड का गिरोह है।

उक्त मुकदमें के अनावरण/गिर० टीम को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी।

अपराध का तरीका- उपरोक्त अभियुक्त गण एवं इनके सहयोगियों द्वारा गरीब, लाचार व बेबस लोगों को चन्द पैसों का लालच देकर उनसे खाते खुलवाते है तथा उनके खाते में लिंक मोबाइल सिम, खाते मे जारी एटीएम, पासबुक, चेकबुक जिसपर पहले से साइन करा लेते हैं, और सम्पूर्ण दस्तावेज ये ले लेते हैं तथा और सम्बन्धित को कॉल कर नौकरी, लकी ड्रा का झासा देकर उक्त गरीब, लाचार व बेबस लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर कर निकाल लेते है। इसके अलावा भी वे लोग यूपीआई फ्रॉड, ओएलएक्स फ्रॉड तथा लोगों के मोबाइल पर लिंक भेजकर उनके मोबाइल पर अनचाहे एप डाउनलोड कराकर उनके मोबाइल बैंकिंग सेवा को खुद उपयोग करके उनके खाते से धनराशि स्थानांतरित कर लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

१.विशेष गुप्ता पुत्र बसन्तलाल गुप्ता नि० बीडीए कालोनी बडी बिहार थाना इज्जत नगर, बरेली।

२.रासिद अली पुत्र सराफत अली निवासी बीडीए कालोनी बडी बिहार, थाना इज्जतनगर, जनपद बरेली।

३. सुरजीत यादव पुत्र रामसेवक यादव नि० फरीदपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली।

बरामदगी/ माल मसरूका का विवरण-

१. दो पहिया वाहन (एवेंजर, हीरो स्प्लेंडर व टीवीएस स्पोर्ट) ०३ अदद

२. घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन -०३ अदद।

३. आधार कार्ड १६ अदद।

४.एटीएम कार्ड भिन्न-भिन्न बैंक २५ अदद ।

५. बैंक पासबुक भिन्न- भिन्न बैंक ३४ अदद ।

६. बैंक चेकबुक भिन्न-भिन्न बैंक १६ अदद ।

७. पैन कार्ड ११ अदद।

८. १५००० रू० नकद बरामद।

गिरफ्तारी टीम-

१. उ०नि० श्री विजेन्द्र सिंह, इंटेलीजेन्स टीम।

२. उ०नि०प्र० सिद्धार्थ सिंह, थाना पुरामुफ्ती।

साइबर सेल टीम

१.सीसीओ अखिलेश उपाध्याय

२.सीसीओ संदीप कुमार

थाना कड़ाधाम टीम

१. उ०नि० कृष्णराज सिंह

२. का० देवनारायण यादव